राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ ( ) परि/लेखा/राजस्व/2026–27/ 9254 जयपुर दिनांकः 14/7/2026

कार्यालय आदेश

विभाग के आदेश कमांक 05/2026 दिनांक 13.07.2026 से Vehicle location Tracking Device (VLTD) के ऑनबोडिंग, सक्रियण एवं कियान्वयन (Onboarding activation and implementation) हेतु प्रकिया का निर्धारण किया जाकर बिन्दु सं. 3 (14.20) से VLTD निर्माता को स्टेट VLTD Portal पर ऑनबोर्ड एवं निरंतर संचालन हेतु अप्रतिदेय एक मुश्त प्रशासनिक व्यय राशि रू 100000/– (एक लाख) तथा रूपये 1000/– (एक हजार) प्रति VLT डिवाईस राजकोष में जमा कराने के निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त देय राशि ऑनलाईन जमा करवाये जाने की व्यवस्था स्थापित होने तक निम्नानुसार बजट मद (0041–वाहन कर, 00, 800– अन्य प्राप्तियॉ, (03)– अन्य विविध प्राप्तिया, [01] –विविध प्राप्तियॉ) में जमा करवाई जानी है।

1. VLTD निर्माता द्वारा स्टेट VLTD Portal पर ऑनबोर्ड एवं निरंतर संचालन हेतु आवेदन किये जाने पर, अनुमति प्रदान किये जाने से पूर्व अप्रतिदेय एक मुश्त प्रशासनिक व्यय राशि रू 100000/– (एक लाख) का विभाग द्वारा ई–ग्रास/आरएमएस पर चालान सृजित किया जाकर ई–मेल के माध्यम से VLTD निर्माता को प्रेषित किया जायेगा।
2. VLTD निर्माता को मेल के माध्यम से चालान प्राप्त होने के उपरांत चालान के माध्यम से राशि राजकोष में जमा करवाई जाकर, जमा रसीद के साथ, विभाग को प्रेषित की जानी होगी।
3. विभाग को जमा रसीद प्राप्त होने के उपरांत विभाग की केश (cash) शाखा से सत्यापित करवाया जाना होगा।
4. चालान के सत्यापन उपरांत VLTD निर्माता को ऑनबोर्ड होने एवं निरंतर संचालन की अनुमति जारी की जा सकेगी।
5. VLTD निर्माता को ऑनबोर्ड की अनुमति के साथ न्यूनतम 100 डिवाइस हेतु प्रति डिवाईस 1000/– अग्रिम रूप से राजकोष में जमा करवाये जाने हेतु, ई–ग्रास /आरएमएस पर चालान सृजित किया जाकर मेल के माध्यम से VLTD निर्माता को प्रेषित किया जायेगा।
6. VLTD निर्माता द्वारा प्राप्त चालान के माध्यम से राशि राजकोष में जमा करवाई जाकर जमा की रसीद विभाग को प्रेषित की जानी होगी।
7. विभाग को चालान जमा की रसीद प्राप्त होने के उपरांत, विभाग की केश (cash) शाखा से सत्यापित करवाया जाना होगा।
8. उक्त प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत VLTD निर्माता द्वारा डिवाईस लगवाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।
9. VLTD निर्माता द्वारा 100 डिवाईस लगवाये जाने के उपरांत, न्यूनतम 100 डिवाईस हेतु प्रति 1000/– डिवाईस के चालान के माध्यम से जाम करवाये जाने के उपरांत, पुनः डिवाईस लगवाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
आयुक्त,
परिवहन एवं सडक सुरक्षा।

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांकः एफ ( ) परि/लेखा/राजस्व/2026–27/9255-9261 जयपुर दिनांकः 14/7/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. व.निजी सचिव, शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. व.निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
5. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी, समस्त।
6. संबंधित VLTD निर्माता (OEM)।
7. अतिरिक्त निदेशक, आईटी को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करावे।
8. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त,
परिवहन एवं सडक सुरक्षा।

Scanned with OKEN Scanner